गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009, कमांक 25 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)

(A Central University established by the Central Universities Act., 2009 No. 25 of 2009)

Web Site – www.ggu.ac.in, ph. No. 07752-260342, fax No. 07752-260148,154

कमॉक 445 /अका./शोध/ 2022 बिलासपुर, दिनॉक 07 FEB 2022

:: आदेश ::

डॉ0 हरीश कुमार, प्रोफेसर, प्रबंध अध्ययन विभाग से प्राप्त अभ्यावेदनों एवं प्रबंध अध्ययन विभाग से प्राप्त जानकारी पर विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनाँक 27–01–2022 में विचार किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि डॉ0 हरीश कुमार के प्रकरण पर संबंधित विद्यापीठ के अधिष्ठाता दस्तावेजों का परीक्षण कर लें एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में उन्नयन उपरांत पात्र घोषित होने पर मान्य शोध निर्देशक होने संबंधी पत्र जारी कर देवें।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति के निर्णय के परिपालन में डॉ0 हरीश कुमार को निम्नानुसार तथ्यों के प्रकाश में शोध निर्देशक मान्य किया जाता हैः–

1. डॉ0 हरीश कुमार को गुरू घासीदास विश्वविद्यालय (तत्कालिन राज्य विश्वविद्यालय) के द्वारा पत्र कमांक 1765/अका./नि.मा/दिनॉक 05–10–1998 के माध्यम से शोध निर्देशक मान्य किया गया था।
2. केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में उन्नयन के उपरान्त वर्ष 2009–10 में तत्समय कार्यरत् शिक्षकों से दस्तावेज मंगाया जाकर मान्य शोध निर्देशक होने संबंधी पात्रता का परीक्षण किया गया था।
3. तद्समय कार्यरत् ऐसे शिक्षक जिन्होंने दस्तावेज जमा किये एवं पात्रता पूर्ण की उन्हें शोध निर्देशक मान्य करते हुए एक सूची विश्वविद्यालय के वेब पटल पर वर्ष 2010 में जारी किया गया था।
4. उक्त सूची में डॉ0 हरीश कुमार को शोध निर्देशक मान्यता हेतु अर्ह घोषित किया गया था।
5. डॉ0 हरीश कुमार के द्वारा समय–समय पर ई–मेंल के माध्यम से शोध निर्देशक मान्यता संबंधी पत्र की मांग की जाती रही है।

अतः वर्ष 2010 में जारी सूची को दृष्टिगत रखते हुए परीक्षणोपरांत केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में उन्नयन उपरॉत वर्ष 2010 से डॉ0 हरीश कुमार को प्रबंध अध्ययन विषय का शोध निर्देशक मान्य किया जाता है।

आदेशानुसार,

अधिष्ठाता, प्रबंध एवं वाणिज्य विद्यापीठ

प्रतिलिपिः–

1. कुलपति /कुलसचिव के सचिव /निज सहायक को मान.कुलपति/कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
2. विभागाध्यक्ष/शोध केन्द्र, प्रबंध अध्ययन विभाग, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ ।
3. शोध निर्देशक, डॉ0 हरीश कुमार, प्रोफेसर, प्रबंध अध्ययन विभाग, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।
4. परीक्षा नियंत्रक, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।
5. उप–कुलसचिव/सहायक कुलसचिव, परीक्षा / गोपनीय को सूचनार्थ ।
6. ग्रंथपाल, केन्द्रीय ग्रंथालय, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ ।
7. कार्यालय प्रति।

सहायक कुलसचिव (अका0)